



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 16 जुलाई, 2025

आषाढ़ 25, 1947 शक सम्बत्

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0 प्र0

पी0सी0एफ0 भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ

संख्या 167/रा0नि0आ0-4/न0नि0/21-25/2025

लखनऊ, 16 जुलाई, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग के पत्र संख्या 2464/9-1-2025-1804894, दिनांक 2 जुलाई, 2025 द्वारा दिए गये परामर्श के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यक के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 13छ के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राज प्रताप सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के सदस्य पद (यदि मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों) पर उप निर्वाचन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ:-

समय-सारिणी

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अवधि	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	अभ्यर्थन वापसी का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
19 जुलाई, 2025 से 26 जुलाई, 2025 तक (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	28 जुलाई, 2025 (सोमवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	30 जुलाई, 2025 (बुधवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	31 जुलाई, 2025 (गुरुवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	11 अगस्त, 2025 (सोमवार) (प्रातः 07.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक)	13 अगस्त, 2025 (बुधवार) (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2-उपर्युक्त संदर्भित उप निर्वाचन के लिए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) दिनांक 17 जुलाई, 2025 को सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि सरकारी गजट में प्रकाशित करने के लिए तथा एक प्रतिलिपि आयोग को उसी दिन भेजेंगे। तत्क्रम में रिटर्निंग अधिकारी सम्बन्धित नगरीय निकाय के उप निर्वाचन की सार्वजनिक नोटिस दिनांक 19 जुलाई, 2025 को जारी करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को भेजेंगे। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सूचना निर्गत करने के दिनांक से नामांकन-पत्रों का विक्रय किया जायेगा।

3-जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) तथा उनके द्वारा पदाभिहित किये गये सम्बन्धित स्थान/पद के रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी उक्त कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराएंगे। जन सामान्य की जानकारी हेतु अपने कार्यालय तथा सम्बन्धित नगरीय निकायों के मुख्यालय के सूचना पट्ट पर भी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चिपकवा कर प्रदर्शित भी कराएंगे।

4-नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने, नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थन वापस लेने, प्रतीक आवंटन एवं मतगणना की कार्यवाही सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

5-यह उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा।

6-नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा निर्धारित उपर्युक्त समय-सारिणी के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सभी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक-सूची।

आज्ञा से,
राज प्रताप सिंह,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश की
अधिसूचना

संख्या 167/रा0नि0आ0.4/न0नि0/21-25/2025, दिनांक 16 जुलाई, 2025 का संलग्नक

क्र०सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	पद नाम	वार्ड संख्या	रिक्ति की अधिसूचना
1	2	3	4	5	6
01	बागपत	नगर पालिका परिषद, खेकड़ा	सदस्य	05	2458/9-1-2025-1818976, दिनांक 11-07-2025
02	शाहजहांपुर	नगर पंचायत, खुटार	सदस्य	09	— तदैव—
03	बिजनौर	नगर पालिका परिषद, चान्दपुर	सदस्य	16	— तदैव—
04	कन्नौज	नगर पालिका परिषद, गुरसरायगंज	सदस्य	03	— तदैव—
05	महाराजगंज	नगर पंचायत, घुघली	सदस्य	11	— तदैव—
06	कन्नौज	नगर पालिका परिषद, छिबरामऊ	सदस्य	23	— तदैव—
07	मेरठ	नगर पंचायत, परीक्षितगढ़	सदस्य	01	— तदैव—
08	अमरोहा	नगर पालिका परिषद, धनौरा	सदस्य	16	— तदैव—

आज्ञा से,
डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष कार्याधिकारी/विभागाध्यक्ष।